

(771/2)  
२५३/२२

०।

काष्ठ क्रमांक 2  
(दिविये निपाम 7)  
मध्य प्रदेश शासन



## समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 03/27/01/22578/20

यह प्रमाणित किया जाता है कि मालवांचल पूर्व छात्र संगठन, समिति जो ग्राम मोरोदहाट एन.एन्. 59 -A नेमावर रोड इंदौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 09 मार्च 2020 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 09 मार्च 2020

Signature valid  
Digitally Signed by AJAY KUMAR KHARE  
(Personal)  
Date: 09/03/2020 12:32:31  
सामितिया के लिए जस्ट्रार

पंजीयन  
२०१३-२२  
(दी. १३. ३०१३)  
अधिकारी एवं सदस्य  
काष्ठ क्रमांक संख्या २२५७८/२०


Note: This is a Digitally Signed document On 09/03/2020 12:32 PM Server Name : BHASKARACHARYA

Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721915



04/03/22  
Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)  
Rajesh

## प्रारूप क्रमांक १

(देखिये नियम ३)

## समितियों के पंजीयन हेतु शापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : 83150196529107012020

अनुशोदन दिनांक : 13 Feb 2020

- सोसायटी का नाम मालवांचल पूर्व छात्र संगठन होगा।
- सोसायटी का प्रधान व्यावर्त्य मकान क्रमांक शाम मेसेटहाट एच.एच. ५९ - A नेमावर रोड इंदौर ४५२०१६ तहसील Indore जिला Indore पर्याप्ति प्रदेश में स्थित होगा।  
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) ७३१४०१३७७८ ईमेल आईडी adm.register@malwanchaluniversity.com
- गोपनीयता के उद्देश्य निम्नानुसार होगे:-

१. सभी नए पुराने छात्रों को एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए
२. विश्वविद्यालय के सभी पूर्व छात्रों के डेटा बेस को बनाए रखने और अपडेट करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए
३. वर्तमान छात्रों के लाभ और प्रगति के लिए कॉलेज के पुराने छात्रों के समृद्ध अनुभवों का उपयोग करना।
४. बैहतर रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए अपने प्रयासों में उपास्थित छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
५. भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित उद्योगों में काम करने वाले पुराने छात्रों के माध्यम से कैपस लोसमेट को बढ़ावा देना
६. विश्वविद्यालय के समग्र विकास में पूर्व छात्रों के मूल्यवान स्थान प्राप्त करने के लिए
७. साकृतिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सेमिनार, वाद-विचाद, कार्यशालाओं का आयोजन करना
८. पोषण और साधनों के अधार पर उच्च अध्ययन के लिए आवश्यक पूर्व छात्र सदस्यों को विशेष सहायता प्रदान करना
९. अपने शिक्षा उद्देश्य के लिए गरीब छात्रों को नकद या अन्य किसी रूप ह से दान की व्यवस्था करना
१०. पुस्तकालय, वाचनालय, वाचनालय कक्ष, प्रशिक्षण केंद्र आदि की प्रशिक्षण केंद्रों के सदस्यों के लिए उपयोगी बनाए रखना
११. विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए और सदस्यों की तकनीकी और सामान्य कोशिश करने के लिए
१२. रोजगार की ज्ञानकारी के डेटाबेस को इकट्ठा करना और बनाए रखना और उपयुक्त नौकरियों को हासिल करने में सदस्यों की रहायता करना।
१३. लेबसाइट को बनाए रखने के लिए सदस्यों और छात्रों के लिए उपयोगी, उपयोगी ज्ञानकारी के साथ आवधिक पत्रिकाओं या बुलेटिनों को अपडेट करना।
१४. विश्वविद्यालय और सोसायटी के समग्र विकास में सदस्यों की शामिल करना।
१५. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परियद समिति या शासी निकाय को सौमा गया है, जिनके नाम गते तथा उपजीविका नीचे विवरित हैं:-

प्रमांक	नाम	पिता/पति वा नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
१	निवेद कुमार सिंह	मंगा साहर सिंह	अध्यक्ष	१०२, इंडेक्स सिटी, एन एच ५९-ए, नेमावर रोड, जिला इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
२	दीपत शर्मा	अमित शर्मा	उपाध्यक्ष	एफ-७, ईएसआईसी होस्पिटल डॉक्टर कॉलोनी, नन्दा नगर, इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
३	महाकाल सिंह चौटल	श्याम विश्वार चौटल	सचिव	११, बी, राजेंद्र नगर इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
४	रोनिका श्रीतस्तव	जगदीश चन्द्र श्रीतस्तव	कोषाध्यक्ष	१०१, मिशन नगर इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
५	अनु वी कुमार	लाल अवस्थी	संयुक्त सचिव	२०४, एस पी विल्टास, बाइपास, कनिडिया, इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
६	जीतेन्द्र सिंहोलकर	सुरेश विश्वोलकर	सदस्य	१४२, ग्राम बावलिया खुर्द, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
७	राजेश प्रजापति	रामेश्वर प्रजापति	सदस्य	१२३, ग्राम निर्जपुर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
८.	निवेदी कुमार	दीपा निवेदी कुमार	सदस्य	१२४, ग्राम निवेदी कुमार, इंदौर, Madhya Pradesh	नोकरी

५. इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रारंभिक प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (१९७१ का ४४) की आरा ५ को उप-धारा (१) के अधीन अपैक्षित है, सल्ला है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम भी और पहले लिखे हैं, समिति का अधिकार उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

१२३/१०१  
Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)

04

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/प्रति का नाम सहित	डस्ट्रक्टर
1	दिवेंद्र कुमार सिंह, गंगा सागर सिंह, 10/2, इंडोरेस सिटी, एन एच 59-ए, नेपावर रोड, जिला इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
2	पायल शर्मा, अमित शर्मा, एफ-7, ईप्यूआईसी हॉस्पिटल छाँकटर कॉलनी, नन्दा नगर, इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
3	महाकाल सिंह चदेल, श्याम किशोर चदेल, 91-वीड़ोजेंट्र नगर इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
4	तेजिनी का श्रीवास्तव, जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, 101, मिश्र नगर इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
5	अनु वी कुमार, जय अदवी, 204, एस पी बिल्लास, बाहुगांव, कनडिया, इंदौर, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
6	जीतेन्द्र चिंघोलकर, सुरेश चिंघोलकर, 142, प्राम बापलिपा खुर्द, Indore, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
7	राजेश प्रजापति, रामेश्वर प्रजापति, 123, प्राम बिल्लपुर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	<i>कृष्ण</i>
8	हम तिथानुसार पदाधिकारी / सांदर्भ आदर्श उप-विधिवारी प्रारूप-एक को सांसाइटी की उप-विधिवारी के रूप में स्वीकार करते हैं।	<i>कृष्ण</i> (कोषाध्यक्ष)



पंजीयन नं. 22538 प्र. 9/11/20

पंजीयन

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संतुष्ट करे

पालान क्रमांक SBIN00061591475160/202071225

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पठनन यत्र के लिये Permanent Account Number

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Bank account statement/bank pass book

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

पहचान पत्र का क्रमांक GEQPS6093D

पता का क्रमांक 885610110003404

साक्षी:-/ > हस्ताक्षर :-  
नामी का नाम :- vinod yadav  
साक्षी का पिता/पति:- Mr Ramesh Chandra  
पूर्ण पता :- 194 trishul apartment 5 sungali  
colony a.b. road, Indore

माटप्पतिलिपि

(वी. वु. रामलक्ष्मी)  
वर्ष 2020-21  
पंजीयन नं. 22538 प्र. 9/11/20

Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M P)

9/11/2020

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



संघीय लग्जरी

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721913



RN. 22578720

24-3-22

मत्वांचल विश्वविद्यालय

मत्वांचल शहर, इंदौर, मध्य प्रदेश

04  
Registar  
Matwanchal University  
Indore (M.P.)

Bopin h

१७११९  
२५।३।२२

### नियमावली

आवेदन क्रमांक : ८३१४०१०६५३९१०७०१२०२०

अनुमोदन दिनांक : 13 Feb 2020

- सोसायटी का नाम मातवाचल पूर्व छात्र संगठन होगा।
- सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक ग्राम मोरोदहाट एन.एच. ३९ - A नेमावर रोड इंदौर 452016 तहसील इंदौर जिला इंदौर मध्य प्रदेश मे स्थित होगा।
- संस्था का कार्यक्रम संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
- सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होगे:-

1. सभी नए पुराने छात्रों को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए
2. विश्वविद्यालय के सभी पूर्व छात्रों के डेटा बेस को बनाए रखने और अपडेट लेने और उनके साथ बातचीत करने के लिए
3. यर्तनान छात्रों के लाभ और प्रगति के लिए कॉलेज के पुराने छात्रों के समृद्ध अनुभवों का उपयोग करना
4. बेहतर रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए अपने प्रेयोगी मे उपस्थित छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. भारत और विदेशों मे प्रतिष्ठित उद्योगों मे काम करने वाले पुराने छात्रों के माध्यम से कैपस प्लैसमेंट को बढ़ावा देना।
6. विश्वविद्यालय के सम्प्रविकास ने पूर्व छात्रों के मूल्यवान सत्ताह प्राप्त करने के लिए
7. सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सेमिनार, बद्द-विवाद, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
8. योग्यता और साधनों के आधार पर उच्च अध्ययन के लिए आवश्यक पूर्व छात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

9. अपने शिक्षा उद्देश्य के लिए गरीब छात्रों को नकद या अन्य किसी तरह से दान की व्यवस्था करना
10. पुस्तकालय, बाचनालय, चाल्खणन लक्ष, प्रशिक्षण केंद्र आदि को एसोसिएशन के सदस्यों के लिए उपयोगी दान एवं रखना।
11. विश्वविद्यालय मे पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए और सदस्यों को तकनीकी और सामान्य कौशल को उन्नत करने के लिए
12. रोजगार की जानकारी के डेटाबेस को इकट्ठा करना और बनाए रखना और उपपुक्त नौकरियों को हासिल करने मे सदस्यों की सहायता करना।
13. वेबसाइट को बनाए रखने के लिए सदस्यों और छात्रों ले लिए उपयोगी, उपयोगी जानकारी के साथ आवधिक पत्रिकाओं या बुलेटिनों को प्रकाशित करें।
14. विश्वविद्यालय और सोसाइटी के सम्प्रविकास मे सदस्यों को शामिल करना।

- सोसाइटी के सदस्य नियमित प्रवर्गों के होंगे-  
 (अ) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो क्रूपये 1000/- या अधिक एक मुश्त दान करता है या एक साल के भीतर दारह किश्ती मे भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।  
 (ब) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

- (स) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 10/- प्रतिमाह या रुपये 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य इस। साधारण सदस्य के बहुत उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके के लिए वह अंशदान करेगा।  
 (द) व्यवर्तनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण समितिलन मे भाग से लेकर हैं, परंतु वे भल देने के हकदार नहीं होंगे।  
 सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक ही लियित रूप मे आवेदन करना है, ऐसा आवेदन पर प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने पर या अमान्य करने पर अधिकार होगा।

सदस्यों की योग्यता- संस्था या सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति मे नियमित योग्यता होना आवश्यक है:-

- अप्तु १८ वर्ष से कम न हो।
- भलतीय नागरिक हो।
- उन्होंने के नियमों के पालन की प्रतिश्वाकी हो।
- उन्होंने ही दृष्टि नष्टपान न करता हो।

Registration  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)

प्रबंधक  
सोसाइटी

सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

1. नृत्य हो जाने पर।
2. पांच माह हो जाने पर।
3. संस्था को देय वदे की रकम नियम 5 से बढ़ाये अनुसार जिमान करने पर।
4. लाग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चारिकर दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार निकात दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की रुचना सदस्य यों लिखित रूप में देना होगा।

9. संस्था कार्यात्मक में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित बीरि दर्ज किये जावेगे-।

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व ऐसीदर्जेवर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शये गये के सदस्य समावेश होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता नुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का रथान व समय कार्यकारिणी समिति निर्धारित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य की दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रधम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। पदि संघित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था जी आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कार्यालयी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव यन्माया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, पदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकती, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विधेय- याद कम से कम छुल संख्या (छुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक हुलाने हेतु आयोजन करे तो उनके दर्शाएं विधेय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विधेय संकल्प प्रारूप हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर भुजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का प्रारम्भ देने का अधिकार होगा।

11. सोधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य-।

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का पार्विक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थानीय निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रत्युत हो।
- (ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को त्वीकृत करना।
- (ज) बजट का अनुमोदन करना।

नम. १. २२५३६ दि. १३।२०

12. आवश्यकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाएं गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में दृमत के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

13. संघात 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संप्रकृत सचिव 1,(6)सदस्य 2

14. संघ समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय बदल जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निराण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, तक उसके अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

15. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

16. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय को पूर्ते हुत बाबस्या

17. प्रत्येक वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

18. यह समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कार्यालयों के बैठन तथा भर्ते आदि का भुगतान करना, संस्था के बदल जब तक राम्पति पर तागने दारों कर आदि का भुगतान करना।

19. कार्यालयों परीक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

20. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समझ समय पर होये जाए।

21. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

22. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित प्राप्त नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर  
तापिक

हस्ताक्षर  
तापिक

04  
Registration  
Malwanchi University  
Indore (M.P.) 2/3

Signature

15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंडी द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में रामानुज होने पर निर्णयालमक होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे।
17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजुर करते हेतु प्राधिकत होगा।
18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण डिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20. बैंक खाता- रोसाइटी की निधिया अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिविंग के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित ग्राहल्प पर कार्यकारिणी समिति की सूची फार्मल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के ३/५ मत से घरित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उबल समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्थाकी अचल सम्पत्ति (स्थावर) रेजिस्टर, फर्म एवं संस्थाएं की लिखित अनुहा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

अधिनियम  
अधिकार

इसामद

सचिव

इसामद

कोषाध्यक्ष

२० जून, २०१७ दि. १३।८

अधिनियम  
अधिकार

अधिनियम

(डॉ. एस. राजेश्वर)  
अधिस्टोन्ड अधिस्टोन्ड  
फार्म एवं संस्थाएं, इन्डोर संस्थाएं  
४५ एन्डरेस

०५/०६/०१८

Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721914



प.र. २२५८४)२०

३०.३.२२  
(वि. दुर्गा चोहान)  
अधिकारी रजिस्ट्रर  
गोप्य दस्तावेज़, दालोदा

१५/३/२२  
Registrar  
Malwanchal University  
Indore (M.P.)